आयकर अधिनियम, 2025, आयकर अधिनियम, 1961 को निरस्त करता है। नए आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 536 के अंतर्गत "निरस्त करने और बचाने" के नियम भी शामिल हैं।

आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 536(2)(j) के अनुसार, निरस्त किए गए आयकर अधिनियम के किसी भी प्रोविज़न के अंतर्गत दी गई कोई भी मान्यता, सर्कुलर, निर्देश, नोटिफिकेशन, ऑर्डर या नियम या उसमें बनाई गई कोई भी योजना या स्कीम, जहाँ तक वह इस अधिनियम के संबंधित प्रोविज़न से अलग न हो, इसी अधिनियम के संबंधित प्रोविज़न के अंतर्गत की गई, बनाई गई, दी गई, या जारी की गई मानी जाएगी और उसी के अनुसार लागू रहेगी।

इसका मतलब यह है कि वर्तमान पंजीकरण नए कानून के अंतर्गत मान्य बना रहेगा। इसलिए, आयकर अधिनियम, 2025 के अंतर्गत किसी माइग्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है।

क्या आप जानते हैं ?

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12AB के अंतर्गत वर्तमान पंजीकरण, आयकर अधिनियम, 2025 के अंतर्गत भी जारी रहेंगे, और इसके लिए माइग्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी।

Released on 1st June, 2026

fmsf